

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 2691

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 2691

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2014

का.आ. 327 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 32 और उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित क्रम संख्याकों और प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

डॉ. ए. जयतिलक,

आई.ए.एस.

अध्यक्ष

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त

2. रिक्त

सदस्य

(लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए)

3. रिक्त

सदस्य

(लोक सभा से निर्वाचित किए जाने के लिए)

4. श्री थंगावेलु संसद सदस्य

सदस्य

राज्य सभा

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

निदेशक या उप सचिव,
 निर्यात संवर्धन का प्रभारी (कृषि प्रभाग),
 वाणिज्य विभाग,
 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

6. श्री संजीव चोपड़ा संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) कृषि और सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

निदेशक या उप सचिव,
 वित्त प्रभाग के प्रभारी,
 वाणिज्य विभाग,
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
 नई दिल्ली

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त

8. श्री विजू जैकब,

10.

सदस्य

सदस्य

निदेशक,

मै0 सिंथाइट इंडस्ट्रीज लि0,

कोलेनचेरी, एर्णाकुलम्, केरल

श्री भास्कर शाह,
 प्रबंधन निदेशक,
 मै0 जैब्स इण्टरनेशनल प्राइवेट लि0,
 नवी मुम्बई, महाराष्ट्र

श्री अजीत थोमस

सदस्य

मैo ए.वी.टी.एम.वी कोर्मिक इनग्रेडियेंटस प्रा.ति.,चेन्नई

11.	श्री ई.के. वासु	सदस्य
	इल्लीकाल हाउस	01/05/2015 तक
	केल्लर पी.ओ. नेदुमकंदन	
	जिला-इदुक्की, केरल	
12.	श्री कुमारलाल एम.तहिलिआनी	सदस्य
	साझेदार मै0 एशियन खाद्य उद्योग	2
	एन. एच. सं. 8 एस्कोर्ट ट्रैक्टर्स के सामने	
	दाबहान नादियाद, के. हेडा, गुजरात	
13.	श्री डी.वी.आर.राजीव मोहन	सदस्य
10.	मै0 आईटीसी लिमिटेड,	
	पश्चिमी बंगाल	
14.	श्री मान सिंह परसोदा	सदस्य
14.	मुख्य डाकघर के सामने	01/05/2015 तक
	कर्नल गंज, गुना	01/00/2010 (14)
	(मध्य प्रदेश)	
15.	श्री जोजा जार्ज	सदस्य
15.	पट्टमकुलम, एस्टेट क्रोटिफकल	11414
	पी.ओ., कोट्टायम, केरल,	
16.	श्री अंजो जोस	सदस्य
10.	पूर्व निदेशक, एम ए एस एन्टरप्राइसेज़	रायरव
	केरल	
17.	श्री के. जियाउद्दीन अहमद	सदस्य
17.	संयुक्त प्रबंधक निदेशक	11414
	मैं0 के.सी.पी.एम.सी. लिं0, बोधीनायकनूर	
	थेनी, तमिलनाडू	
िगम ४	के उप-नियम (1) के खण्ड (ड.) के अधीन नियुक्त	
18.	स्श्री अनिता करनावर	सदस्य
10.	अध्यक्ष, ए आर एस इन्टरनेशनल,	11414
	केरल	
19.	स्श्री विजलक्ष्मी ,	सदस्य
19.	कर्नाटक	11414
20.	डॉ. हातोबिन माई	सदस्य
20.	नाहरलगून, अरुणाचल प्रदेश	11414
21.	डॉ. माथ्यू सामुअल कलारिक्कल	सदस्य
21.	कलारिक्कल एस्टेट, पुलयनमला	VI-1.7
	इड्क्की जिला, केरल	
	३षुवयम गिला, पर्राल	
22.	श्री रावल गोपाल कृष्ण	सदस्य
22.	नेकल्लु (पीओ),	
	तुल्लरू मंडल, गुन्दूर जिला,	
	आंध्र प्रदेश	
23.	ई. एम. आगस्टनी, एडवोकेट	सदस्य
20.	पूर्व एमएलए, इडामानाकुनेल,	
	पी ओः थोभारायार	
	कट्टाप्पना, इंडुक्की, केरल	
	2014-1-1 10 43	

24. श्री बी एम मुनिराजू, चिक्काती ग्राम एवं पोस्ट , होबली, गुण्डुलूपेट तालुक, कामराज नगर, कर्नाटक

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त

25. उत्तर प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि

सदस्य

26. आन्ध्र प्रदेश राज्य से एक प्रतिनिधि

सदस्य

27. सिक्किम राज्य से एक प्रतिनिधि

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (i) के अधीन नियुक्त

28. श्रीमती सुतापा मजूमदार निदेशक (आई.इ.), योजना आयोग, योजना भवन,

नई दिल्ली

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त

निदेशक,
 भारतीय पैकेजिंग संस्थान,

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iii) के अधीन नियुक्त

30. निदेशक,

सदस्य

केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (iv) के अधीन नियुक्त

निदेशक,
 नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर स्पाइसेज,
 कालीकट

सदस्य

नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त

32. श्री जॉर्ज करीमात्तोम, — करीमात्तोम हाऊस पी.ओ. इडूक्की, केरल

सदस्यः

[फा.सं. 5/10/2012-ईपी(कृषि-V)] जे.एस. दीपक, अपर सचिव

टिप्पणीः मूल अधिसूचना की अधिसूचना सं. का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें बाद में संशोधन किया गया:-

- 1. का.आ. 1159(अ) तारीख 21 जुलाई, 2006
- 2. का.आ. 424(अ) तारीख 04 मार्च, 2008
- 3. का.आ. 2161(अ) तारीख 05 सितम्बर, 2008
- 4. का.आ. 937(अ) तारीख 08 अप्रैल, 2009
- 5. का.आ. 3081(अ) तारीख 03 दिसम्बर, 2009

- का.आ. 32(अ) तारीख 07 जनवरी, 2010
- 7. का.आ. 1439(अ) तारीख 15 जून, 2010
- 8. का.आ. 8(अ) तारीख 03 जनवरी, 2011
- 9. का.आ. 501(अ) तारीख 10 मार्च, 2011

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Commerce)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2014

S.O. 327 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26<sup>th</sup> February, 1987, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 32 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"Appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4

1. Dr. A.Jayathilak, IAS.

Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4

Chairman

2. Vacant

Member

(To be elected by Lok Sabha)

3. Vacant

Member

Member

( To be elected by Lok Sabha)

4. Sh. Thangavelu, Member of Parliament,

Rajya Sabha.

Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

 Director/Deputy Secretary, Incharge of Export Promotion (Agriculture Division), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. Member

Member

Appointed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

6. Shri Sanjeev Chopra,

Joint Secretary and Mission Director (NHM), Ministry of Agriculture and Cooperation, Department of Agriculture,

Krishi Bhavan, New Delhi.

Appointed under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 4

7. Director/Deputy Secretary, Incharge of Finance Division, Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce, New Delhi. Member

Appointed under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4

8. Mr. Viju Jacob,

Director of M/s. Synthite Industries Ltd., Kolencherry, Ernakulam, Kerala. Member

488 GT/14-2

Thovarayar PO

Kattappana, Idukki, Kerala.

6	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDIN	ARY [PART II—S	
M	r. Bhaskar Shah, Managing Director, /s. Jabs International Pvt. Ltd., vi Mumbai, Maharashtra.	Member	
1	Mr. Ajith Thomas, M/s. A.V.T.MV Cormick Ingredients Pvt. Ltd., Chennai.	Member	
11.	Shri E.K. Vasu, Illikkal House, Kallar P.O., Nedumkandan, Distt. Idukki, Kerala.	Member up to 01/05/2015	
12.	Mr. Kumarlal M Thailiani, Partner, M/s. Asian Food Industries, N.H. No. 8, Opp. Escort Tractors, Dabhaan, Nadiad, K. Heda, Gujarat.	Member	
13.	Mr. D.V.R. Rajiv Mohan, M/s ITC Limited, West Bengal.	Member	
14.	Shri Man Singh Parsoda, In front of Head Post Office, Colonnel Ganj, Guna, (Madhya Pradesh).	Member up to 01/05/2015	
15.	Sh. Jojo George, Pattamkulam Estate Krottifckal, P.O. Kottayam, Kerala.	Member	
16.	Mr Anjo Jose, Ex Director, MAS Enterprises, Kerala.	Member	
17.	Sh K. Zia-ud-Din Ahamed , Joint MD, M/s. K.C.P.M.C. Ltd., Bodinaykanur, Theni, Tamil Nadu .	Member	
Appointed under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4			
18.	Ms. Anita Karnava, President, ARS International, Kerala.	Member	
19.	Ms. Vijayalaxmi, Karnataka	Member.	
20.	Dr. Hatobin Mai, Nahrlagun, Aurnachal Pradesh.	Member	
21.	Dr. Mathew Samuel Kalarickal, Kalarickal Estate, Pulyanmala, Distt. Idukki, Kerala	Member	
22.	Shri Ravel Gopala Krishna, Nekkallu (PO), Thulluru Mandal, Guntur Dist., Andhra Pradesh.	Member	
23.	Adv. E.M. Augastny, Ex. MLA, Edamanakunnel, Thovarayar PO	Member	



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 2199] No. 2199] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2014/आश्विन 30, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2014/ASVINA 30, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2750(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा (3) की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके लोक सभा सदस्य बने रहने तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "नियम 4 के उप—िनयम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत क्र. सं. 2 तथा 3 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांकों तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :—

"2. श्री प्रताप सिम्हा,

सदस्य

संसद सदस्य,

(लोक सभा दवारा निर्वाचित)

लोक सभा

3.

श्री बी. एस. येदियुरप्पा,

सदस्य

संसद सदस्य,

(लोक सभा दवारा निर्वाचित)"

लोक सभा

[फा. सं. 5/10/2012-ईपी(एग्री-V)/बागान-घ]

रजनी रंजन रशिम, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 26 फरवरी, 1987 की संख्यांक का.आ. 123(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संख्यांक का.आ. 327(अ), तारीख 3 फरवरी, 2014 में प्रकाशित की गई थी। 3.

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## \_ (Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2750(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3), of Section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till he ceases to be a member of the Lok Sabha, whichever is earlier, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:—

In the said notification, under the heading, "Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4", for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"2. Shri Prathap Simha,

Member

Member of Parliament,

(Elected by Lok Sabha)

Lok Sabha

Shri B. S. Yeddyurappa,

Member

Member of Parliament,

(Elected by Lok Sabha)"

Lok Sabha

[F. No. 5/10/2012-EP(Agri-V)/Plant-D]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S. O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and last by vide number S.O. 327(E), dated the 3rd February, 2014.